उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्याः 844–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि /2018–5–काविनी /16 (टी0सी0–सी) दिनांकः 24 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

सातवें वेतन पुनरीक्षण विषयक कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–999–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/17–05–काविनी एवं वे0प्र0/16 दिनांक 01.09.2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी वेतन मैट्रिक्स में वेतन पुनरीक्षण हेतु विकल्प की सुविधा दिनांक 31.08.2017 तक अनुमन्य है, जिसमें विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की अवधि (03 माह) की समय–सीमा दिनांक 30.11.2017 को समाप्त हो गयी है। इस अवधि यथा दिनांक 01.01.2016 से 31.08.2017 के मध्य जिन कार्मिकों के वित्तीय स्तरोन्नयन सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (ए0सी0पी0 योजना) के अन्तर्गत देय थे किन्तु उसकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के विभागीय प्रशासनिक आदेश विकल्प प्रस्तुत करने की समय–सीमा समाप्त होने के पश्चात् जारी हो रहे हैं, ऐसे कार्मिकों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (ए0सी0पी0 योजना) में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता की तिथि से संशोधित विकल्प प्रस्तुत करने हेतु वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किये जाने के प्रशासनिक आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में जिनमें उक्त अवधि दिनांक 01.01.2016 से 31.08.2017 के मध्य देय वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है उनमें भी संशोधित विकल्प इस आदेश के निर्गत होने के 90 दिन के अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

प्रबन्ध निदेशक

सं0 :–844–(1)–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/केस्को, कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन एवं सम्प्रेक्षा)/(वित्त)/उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

(क्रमशः.......2)

12. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
13. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. अनुसचिव (सचिवालय प्रशासन – लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. वरिष्ठ लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

Gayatri Rastogi

(गायत्री रस्तोगी)

संयुक्त सचिव (काविनी)

d:\seventh pay commission\5 kavini 16 - tc-c\letter.doc